न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, नालंदा (बिहारशरीफ)
जमानत आवेदन संख्या– 327 / 2026
(सोहसराय थाना कांड संख्या – 47/2026)
अंतर्गत धारा – 191(2), 190, 115(2), 125(a), 125(b), 109(1), 292, 3(5),B.N.S.

अजय कुमार उर्फ चुहवा एवं अन्य
बनाम
बिहार सरकार

26.03.2026 आवेदकगण / अभियुक्तगण सोहसराय थाना कांड संख्या– 47 / 2026 अंतर्गत धारा– 191(2), 190, 115(2), 125(a), 125(b), 109(1), 292, 3(5),B.N.S. में दिनांक 25.02.2026 से काराधीन आवेदकगण / अभियुक्तगण 1. अजय कुमार उर्फ चुहवा एवं 2. धनंजय कुमार के तरफ से दाखिल नियमित जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शर्मा की ओर से दाखिल किया गया है।

अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि सूचक पु0अ0नि0 मनीष कुमार, दिनांक 24.02.2026 को थाना के सशस्त्र बल के साथ शाम गश्ती में सोहसराय चौराहा पर थे तो समय 21:40 बजे सूचना प्राप्त हुआ कि मोगलकुंआ मस्जिद के आगे गोल्डेन फैशन दुकान स्थित ट्रांसफार्मर के सामने पक्की सड़क पर बारात में शामिल कुछ युवकों एवं मोगलकुंआ मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले कुछ लोगों के बीच बारात में बज रहे बॉक्स बाजा को लेकर कहा सुनी तथा मारपीट हो रही है। सूचक वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए तुरंत मोगलकुंआ के लिए प्रस्थान किये। समय 21:50 बजे उक्त स्थल पर पहुंचे तो मारपीट करने वाले लोग भागने लगे। डायल 112 के दो जवान उपस्थित थे, तभी मोगलकुंआ मस्जिद से नवाज पढ़कर निकल रहे कुछ युवको के द्वारा तेज आवाज में बज रहे बॉक्स बाजा / डी0जे0 से डिस्टर्व होने की बात कहते हुए डी0जे0 बंद करने को कहा गया जिसपर बारात के कुछ लोग एवं मना करने वाले कुछ लोगों में बात विवाद धक्का मुक्की मारपीट होने लगा एवं ईंट पत्थर चलाने लगा एवं सभी अभियुक्तों की पहचान की गयी एवं घटना में अन्य की पहचान की जा रही है। घटना की विडियो बनाने की बात पता चली है। घटनास्थल पर ईंट पत्थर पड़ा हुआ पाया गया। तुरंत पुलिस नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो जाती एवं ईंट पत्थर लगने से किसी की जान भी जा सकती थी।

अभियुक्त / आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार का कथन है कि आवेदक द्वारा जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक दिनांक 25.02.2026 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक के विरूद्ध मारपीट करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक न्यायालय के नियम व शर्तों को मानने को

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, नालंदा (बिहारशरीफ)
जमानत आवेदन संख्या– 327 / 2026
(सोहसराय थाना कांड संख्या – 47/2026)
अंतर्गत धारा – 191(2), 190, 115(2), 125(a), 125(b), 109(1), 292, 3(5),B.N.S.

तैयार हैं, अतः आवेदक को जमानत प्रदान करने का निवेदन करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत का विरोध नहीं करते हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि यह मुकदमा पु0अ0नि0 मनीष कुमार के द्वारा दायर किया गया है एवं आरोप यह लगाया गया है कि बारात के दौरान मस्जिद से नामाज पढ़कर निकल रहे लोगों एवं डी0जे0 के साथ बारात जा रहे लोगों के बीच कहा–सुनी एवं धक्का–मुक्की की सूचना पर वे घटनास्थल पर पहुंचे जिसे देखकर अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गये। कांड दैनिकी में किसी तरह का जख्म प्रतिवेदन नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं आवेदक दिनांक 25.02.2026 से कारा में संसिमित है।

ऐसी परिस्थिति में आवेदक को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक को निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार कर प्रस्तुत किए जाने पर मो0 10,000X2 धनराशि के जमानतदार प्रतिभू सहित बंधपत्र के शर्तों का पालन करने पर आवेदक 1. अजय कुमार उर्फ चुहवा एवं 2. धनंजय कुमार को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)
-sd-
(रणविजय कुमार)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नालंदा, बिहार शरीफ ।

मेमो नं0 ..... दिनांक .....
प्रतिलिपि अग्रसारित .....

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
नालंदा, बिहार शरीफ ।